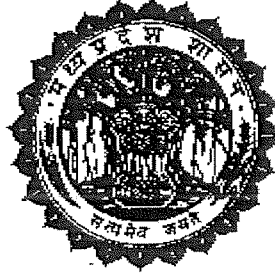


इसे वेबसाइट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 282]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2025-आश्विन 21, शक 1947

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2025

क्र.-1-1-2-0001-2025-Sec-1-पांच (CT)(39)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड-तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची-एक में, कॉलम (1) के अनुक्रमांक 2, 3, 6 एवं 8 तथा उनके सम्मुख प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नानुसार अनुक्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	अंग्रेजी शीघ्रलेखक	1	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	28700-91300(Matrix Level-7)
3	हिन्दी शीघ्रलेखक	2	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	28700-91300(Matrix Level-7)
6	रिकाउंड कीपर	1	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	19500-62000 (Matrix Level-4)
8	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	19500-62000 (Matrix Level-4)"

2. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र में इसके प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वंदना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2025

क्र.-1-1-2-0001-2025-Sec-1-पांच (CT).-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक 1-1-2-0001-2025-Sec-1-पांच (CT)(39), दिनांक 13 अक्टूबर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वंदना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 13th October 2025

No. 1-1-2-0001-2025-Sec-1-V(CT)(39)

In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Commercial Tax Appellate Board Class-III (Ministerial) Service Recruitment Rules, 2007, namely:-

AMENDMENT

In the said rules, in schedule-1, S. Nos. 2, 3, 6 and 8 in column no. (1) and entries related thereto, shall be substituted by following S. Nos. and entries related thereto, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"2	English Stenographer	1	-do-	28700-91300(Matrix Level-7)
3	Hindi Stenographer	2	-do-	28700-91300(Matrix Level-7)
6	Record Keeper	1	-do-	19500-62000 (Matrix Level-4)
8	Data Entry Operator	1	-do-	19500-62000 (Matrix Level-4)"

2. This notification shall come into effect from the date of its publication in the official gazette of the Madhya Pradesh Government.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

VANDANA SHARMA, Dy. Secy.